भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 837
दिनांक 24 जुलाई, 2025

पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण

†837. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 मार्च, 2025 तक देश भर में वर्तमान में पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण के औसत प्रतिशत का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में हुई प्रगति के राज्य-वार रुझान क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इथेनॉल की विकेंद्रीकृत उत्पादन इकाइयों के लिए अतिरिक्त गन्ना, चावल और मक्का क्षेत्रों का मानचित्रण किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इथेनॉल की खरीद के समय भारत के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों, विशेषकर तेलंगाना में किसी भी प्रकार की बाधा के बगैर खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। चालू एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार 18.36% का औसत एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है और जो दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार 18.93% तक पहुंच गया है। जून, 2025 माह में 19.92% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया गया है। राज्य-वार एथेनॉल मिश्रण संबंधित लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया है। ईएसवाई 2024-25 के लिए राज्य-वार/केंद्र शासित प्रदेश-वार एथेनॉल मिश्रण प्रदर्शन संबंधी रुझान (दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार) **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(ख) सरकार ने वर्ष 2014 से देश के विभिन्न क्षेत्रों में एथेनॉल उत्पादन के अवसरों तक एक समान पहुँच सुनिश्चित करने के निमित्त विभिन्न उपाय किए हैं। इन एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना उद्यमियों/ कंपनियों/ सहकारी समितियों आदि द्वारा की जाती है जो परियोजना की निवेश योजनाओं के अनुसार तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यवहार्य लागत पर फीडस्टॉक उपलब्धता का आकलन करना शामिल होता है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समर्पित एथेनॉल संयंत्रों (डीईपीज) के साथ दीर्घकालिक ऑफटेक समझौतों (एलटीओएज) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने देश भर के उद्यमियों को नई एथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमताओं को जोड़ने तथा बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2018-22 के दौरान 'सैद्धांतिक-रूप से' ब्याज अनुदान योजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा, सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों के लिए एक समर्पित अनुदान योजना दिनांक 06.03.2025 को अधिसूचित की गई है, जो शीरा के साथ-साथ खाद्यानों से मौजूदा गन्ना-आधारित डिस्टिलरियों को एथेनॉल उत्पादन हेतु बहु-फ़ीडस्टॉक संयंत्रों में परिवर्तित करती है।

(ग) राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, वर्ष 2022 में यथासंशोधित, जो तेलंगाना राज्य सहित पूरे देश में लागू है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे टूटे हुए चावल, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) द्वारा घोषित अधिशेष चरण के दौरान खाद्यान्न तथा कृषि अवशेषों (चावल की भूसी, कपास के डंठल, भुट्टा, चूरा, खोई आदि) के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। यह नीति मकई, कसावा, सड़े आलू, मक्का, गन्ने के रस और शीरा जैसे फीडस्टॉक के उपयोग को भी बढ़ावा देती है और प्रोत्साहित करती है। एथेनॉल उत्पादन के लिए व्यक्तिगत फीडस्टॉक के उपयोग की सीमा वार्षिक रूप से बदलती रहती है, जो उपलब्धता, लागत, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार की मांग तथा नीतिगत प्रोत्साहनों जैसे कारकों से प्रभावित होती है। एथेनॉल उत्पादन हेतु गन्ने के रस, उसके उप-उत्पादों, मक्का तथा अन्य खाद्य/फीड फसलों के किसी भी तरह के उपयोग को संबंधित हितधारकों के परामर्श से सावधानीपूर्वक परखा जाता है। इसके अलावा, सरकार ने दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल उत्पादन के लिए गैर-खाद्य बायोमास के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु, लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग करके जैव-ईंधन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना शुरू की है। तेलंगाना सहित पूरे देश में एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करने के लिए जल-उपयोग मानदंडों का अनुपालन आवश्यक है, क्योंकि एथेनॉल डिस्टिलरियों के लिए भूजल का उपयोग निषिद्ध है।

*****

अनुलग्नक

"पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण" के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को श्री अरविंद धर्मापुरी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 837 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार ईएसवाई 2024-25 के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार एथेनॉल मिश्रण प्रदर्शन रुझान

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	मिश्रण % (बिक्री)
अंडमान और निकोबार	6.26%
आंध्र प्रदेश	19.00%
अरुणाचल प्रदेश	18.87%
असम	18.96%
बिहार	19.02%
चंडीगढ़	19.04%
छत्तीसगढ	16.96%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	19.01%
दिल्ली	18.96%
गोवा	16.15%
गुजरात	18.95%
हरियाणा	19.30%
हिमाचल प्रदेश	19.26%
जम्मू और कश्मीर	18.84%
झारखंड	18.79%
कर्नाटक	19.13%
केरल	19.25%
लद्दाख	16.17%
लक्षद्वीप	16.65%
मध्य प्रदेश	19.09%
महाराष्ट्र	18.84%
मणिपुर	18.17%
मेघालय	18.96%
मिजोरम	16.66%
नागालैंड	19.03%
ओडिशा	19.08%
पांडिचेरी	19.18%
पंजाब	19.23%
राजस्थान	18.98%
सिक्किम	19.22%
तमिलनाडु	19.11%
तेलंगाना	19.09%
त्रिपुरा	18.82%
उत्तर प्रदेश	18.81%
उत्तराखंड	19.00%
पश्चिम बंगाल	19.28%
कुल	**18.93%**